

प्रारूप-दो

(देखिये नियम-3 (4)  
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

तारीख: 20/05/2010

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक 43

अ/89 (अ) वर्ष 2009-10

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) और उसके अधीन बनाए गए छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तों) नियम, 1999 के अधीन-

श्री/श्रीमति/मेसर्स

- सिंघानियां बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड

डायरेक्टर

- श्री सुबोध सिंघानियां पिता श्री श्यामलाल सिंघानियां

निवासी

- आमामाका जी० ई० रोड रायपुर छ०ग०

मोहल्ला

- रायपुर

ग्राम/वार्ड

- -

नगर

- रायपुर

तहसील

- रायपुर

जिला


- रायपुर

को एतद द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन कालोनाईजर के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाता है-

01. यह रजिस्ट्रीकरण ग्राम पंचायत गुमा वि०ख० धरसीवां के क्षेत्र तक सीमित है.

02. प्रत्येक अतिरिक्त कालोनी स्थापना की पूर्व सूचना कालोनाईजर को देनी होगी.

03. प्रारंभ करने के लिये प्रत्येक कालोनी की अनुमति अलग से प्राप्त करनी होगी.



वैध-नियमानुसार कालोनी के विकास की अनुमति प्राप्त कर लेने के पश्चात ही कालोनी की स्थापना, इसका विकास कार्य, भूखण्डों भवनो का विक्रय या विक्रय का करार वैध होगा.

स्थान: रायपुर

दिनांक: 20/05/2010

For. Singhania Buildcon Pvt. Ltd.

Director

अनुविभागीय अधिकारी  
अनुविभागीय अधिकारी  
(रा० रायपुर छ०ग०)  
(रा.) रायपुर (छ.प्र.)